

सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना शुरू की

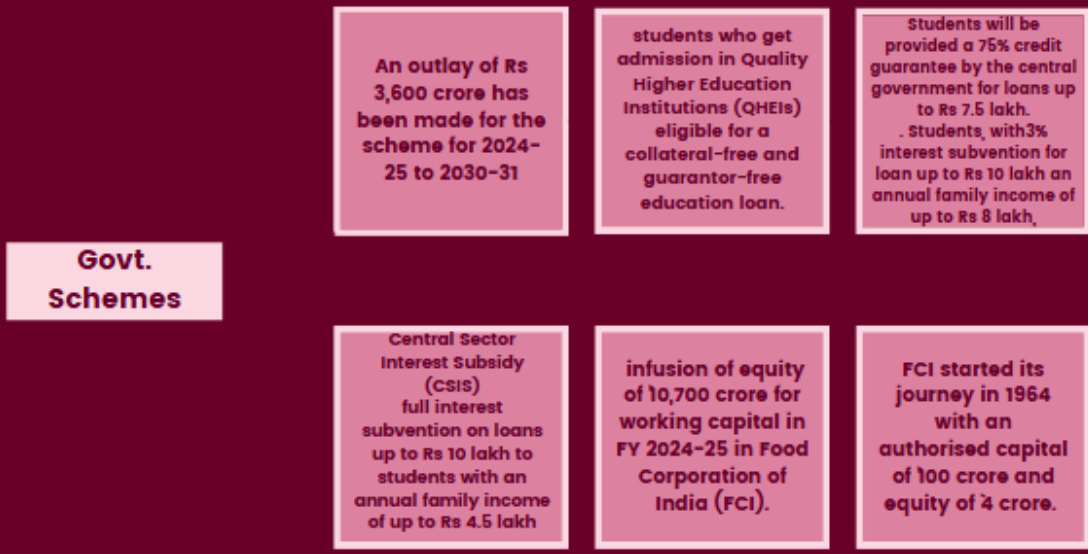
- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की।
- उद्देश्य: भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करना, प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों के निर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन के लिए समर्थन, सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास और उद्योग को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
- 500 करोड़ रुपये का यह प्रारंभिक परिव्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) तक तीन वर्षों के लिए होगा।



कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी

- केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी।
- उद्देश्य: सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण के रूप में मौद्रिक सहायता प्रदान करना।
- कोई भी मेधावी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेता है, वह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त ऋण के लिए पात्र होगा।
- ऋण पूरी ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करेगा।
- 2024-25 से 2030-31 के लिए 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- इस योजना से 2.2 मिलियन से अधिक छात्रों को कवर करने की उम्मीद है जो संभावित रूप से हर साल पीएम-विद्यालक्ष्मी लाभ उठा सकते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी पर प्रदान की जाएगी।
- ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
- इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट की पेशकश करेगी।
- हर साल 100,000 छात्रों को अनुदान सहायता की पेशकश की जाएगी।

PM-Vidyalaxmi



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना शुरू की।
- उद्देश्य: महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना।
- योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष तीन मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे।
- अन्य कल्याणकारी उपाय:
- स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष।
- शिक्षा सहायता के लिए "थल्लिकी वंधनम" कार्यक्रम।

राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी पहल: 'यह दिवाली मेरे भारत के साथ'

- केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने माय भारत पोर्टल की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी पहल, 'इस दिवाली मेरे भारत के साथ - ये दिवाली मेरे भारत के साथ' शुरू की है।
- इसे 27 से 30 अक्टूबर, 2024 तक शेड्यूल किया जा रहा था।
- इस पहल का लक्ष्य दिवाली उत्सव के दौरान सामाजिक सेवा और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए भारत में 500 स्थानों पर 200,000 से अधिक स्वयंसेवकों को शामिल करना है।
- युवा मामले विभाग www.myभारत.gov.in पर MY भारत पोर्टल पर पंजीकरण करके युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana

- प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई), 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई।
- यह भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और समावेशन को लक्षित करने वाली एक पहल है, जो आबादी का 8.9% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह योजना 2021-2026 तक ₹26,135.46 करोड़ के बजट आवंटन के साथ सतत विकास पर जोर देती है।
- पीएमवीकेवाई के छह मुख्य घटक:
- Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana:
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता
- पीएमवीकेवाई के छह मुख्य घटक:
- Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana:
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता
- अतिरिक्त पहल
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
- Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM)
- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)

Union Minister Mansukh Mandaviya to Launch 'eShram-One Stop Solution'

- श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ईश्रम का शुभारंभ करेंगे।
- यह मंच यह सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा कि असंगठित श्रमिकों की विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच हो।
- उद्देश्य: असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई गई सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में जानकारी को एक ही मंच के माध्यम से प्रभावी तरीके से एकीकृत करना।
- इस पहल से असंगठित श्रमिकों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक होने में मदद मिलेगी।

असम के मुख्यमंत्री ने मिशन बसुंधरा 3.0 लॉन्च किया

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में मिशन बसुंधरा 3.0 लॉन्च किया।
- उद्देश्य: स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना।
- इसके तहत राज्य के लोगों के लाभ के लिए भूमि संबंधी विभिन्न सेवाओं को डिजिटल बनाने और मानचित्र प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
- राज्य के मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की डिजीडॉक भी लॉन्च की, जो गैर-पंजीकरण योग्य और वैकल्पिक पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल निर्देशिका है।
- निर्देशिका सेवाओं को सुव्यवस्थित करेगी, प्रसंस्करण समय कम करेगी, सार्वजनिक सुविधा बढ़ाएगी और पहुंच और दक्षता में सुधार करेगी।

सरकार उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाएगी

- उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) योजना शुरू में 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी।
- उड़ान का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उड़ान को अधिक किफायती बनाना है।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 601 मार्गों और 71 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है।
- इस बीच, देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है और लक्ष्य 2047 तक गिनती को 350-400 तक बढ़ाने का है।

EAM Jaishankar launches e-Migrate portal

- विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दिल्ली में eMigrate V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया।
- eMigrate पोर्टल भारतीय प्रवासियों के लिए सुरक्षित और कानूनी गतिशीलता चैनलों को बढ़ावा देता है।

- यह सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 10 के साथ भी संरेखित है जो लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता की सुविधा को बढ़ावा देता है।

महान योजना

- GREAT का तात्पर्य तकनीकी वस्त्रों में इच्छुक नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान से है।
- इसे व्यावसायीकरण सहित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में प्रोटोटाइप का अनुवाद करने में व्यक्तियों और कंपनियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ग्रेट योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- उद्देश्य:
- i) भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना।
- ii) बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ वस्त्र, उच्च-प्रदर्शन और विशेष फाइबर और स्मार्ट वस्त्र जैसे विशिष्ट उप-खंडों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ग्रेट योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- उद्देश्य:
- i) भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना।
- ii) बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ वस्त्र, उच्च-प्रदर्शन और विशेष फाइबर और स्मार्ट वस्त्र जैसे विशिष्ट उप-खंडों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- फंडिंग:
- 18 महीने तक की अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करता है।
- कपड़ा मंत्रालय इनक्यूबेटरों को कुल अनुदान सहायता का 10% अतिरिक्त प्रदान करता है।
- इनक्यूबेटरों को न्यूनतम 10% का योगदान करना आवश्यक है।
- इनक्यूबेटरों में आईआईटी, एनआईटी, कपड़ा अनुसंधान संघ और उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।

कैबिनेट ने IndiaAI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी

- योजना का नाम: इंडियाएआई मिशन
- सरकार द्वारा स्वीकृत राशि: 10,300 करोड़ रुपये से अधिक
- उद्देश्य: भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
- IndiaAI डेटासेट प्लेटफॉर्म को IndiaAI के स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा विकसित किया जाएगा।
- IndiaAI मिशन के बारे में सब कुछ:
- पृष्ठभूमि:
- भारत ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मिशन लॉन्च किया, जिसकी घोषणा भारत के प्रधान मंत्री ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन 2023, नई दिल्ली में की।
- इस मिशन के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) देखेगा:
- (1) 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों (जीपीयू) की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना
- (2) स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित मूलभूत मॉडल विकसित करने में मदद करना।
- द्वारा कार्यान्वित: डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत 'इंडियाएआई' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (आईबीडी)
- IndiaAI मिशन की 7 प्रमुख विशेषताएं:
- इंडियाएआई गणना क्षमता
- इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर
- IndiaAI डेटासेट प्लेटफॉर्म
- IndiaAI अनुप्रयोग विकास पहल
- इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स

- इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनैसिंग
- सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई

कैबिनेट ने 12 औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी दी

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 औद्योगिक नोड्स/शहर प्रस्तावों को मंजूरी
- स्वीकृत: पीएम मोदी
- अनुमानित निवेश: ₹. 28,602 करोड़
- 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध, ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- These industrial areas will be located in Khurpia in Uttarakhand, Rajpura-Patiala in Punjab, Dighi in, Maharashtra, Palakkad in Kerala, Agra and Prayagraj in UP, Gaya in Bihar, Zaheerabad in Telangana, Orvakal and Koppaerthy in AP and Jodhpur-Pali in Rajasthan.

CABINET DECISION
28TH AUGUST, 2024

Grand necklace of Industrial Smart Cities

- Cabinet approves 12 Industrial cities under National Industrial Corridor Development Programme
- Estimated investment of Rs. 28,602 crore
- Projects to span across 10 states and strategically planned along 6 major corridors



• Khurpia in Uttarakhand	• Gaya in Bihar
• Rajpura-Patiala in Punjab	• Zaheerabad in Telangana
• Dighi in, Maharashtra	• Orvakal and Koppaerthy in AP
• Palakkad in Kerala	• Jodhpur-Pali in Rajasthan
• Agra and Prayagraj in UP	





कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना 'विज्ञान धारा' को मंजूरी दी

- Name of scheme: Vigyan Dhara
- विभाग: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)।
- एजेंडा: तीन प्रमुख योजनाओं का विलय
- इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं:
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण,
- अनुसंधान एवं विकास और
- नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती।
- 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना 'विज्ञान धारा' के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,579.84 करोड़ रुपये है।

स्पाइसेस बोर्ड ने 'स्पाइस स्कीम' लॉन्च की

- योजना का नाम: 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस)'
- 15वें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू किया गया
- कुल स्वीकृत परिव्यय 422.30 करोड़ रुपये
- SPICED योजना से मिशन मूल्य संवर्धन, मिशन स्वच्छ और सुरक्षित मसालों, जीआई मसालों को बढ़ावा देने, स्पाइस इनक्यूबेशन के माध्यम से उद्यमिता के लिए समर्थन जैसे नए उप-घटकों/कार्यक्रमों को शुरू करके मसाला क्षेत्र में मूल्य संवर्धन की सुविधा और नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्र, आदि

नोट: मसाला बोर्ड, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत

जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ

- लॉन्च: जियो पारसी योजना पोर्टल
- लॉन्च किया गया: किरेन रिजिजू, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
- एजेंडा: पारसियों को ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाना, उनके आवेदन की स्थिति की जांच करना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- जियो पारसी योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

सरकार ने **EMPS 2024** की अवधि दो महीने बढ़ा दी है

- भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना है।
- ईएमपीएस योजना मूल रूप से 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने के लिए निर्धारित की गई थी, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये था।
- इस योजना को दो महीने यानी 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना का परिव्यय बढ़ाकर रु. 778 करोड़.
- इस योजना का लक्ष्य पूर्व फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स - II (FAME-II) योजना की जगह लेते हुए ईवी बिक्री में वृद्धि को बनाए रखना है।
- 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नई योजना 1 अप्रैल को शुरू हुई।
- सरकार ने इस योजना के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है।
- बढ़ती मांग को प्रबंधित करने और ईवी निर्माताओं पर बोझ कम करने के लिए सरकार ने अधिकतम सब्सिडी सीमा कम कर दी है।

पीएमजीडिशा के तहत **47.8** मिलियन ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर प्रमाणित किया गया

- 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुए प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा) के तहत, ग्रामीण परिवारों में 47.8 मिलियन लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया था।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दी जानकारी.
- इस योजना के तहत, लोगों को डिजिटल उपकरणों (कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन) को संचालित करने, दैनिक जीवन में इंटरनेट का उपयोग करने, डिजिटल लेनदेन करने और डिजिटल सरकार, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- पीएमजीडिशा योजना दो साल के भीतर ग्रामीण भारत में साठ मिलियन नागरिकों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को लक्षित किया गया था।
- 91.8 प्रतिशत के साथ, गोवा में पंजीकृत से प्रशिक्षित उम्मीदवारों में सबसे अधिक रूपांतरण देखा गया, इसके बाद बिहार में 89.9% का परिवर्तन हुआ। पंजीकृत से प्रशिक्षित उम्मीदवारों में सबसे कम रूपांतरण लक्षद्वीप में 24.6% के साथ हुआ, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 52.7% रहा।

एआईएफ योजना

- एआईएफ योजना के बारे में:
- लॉन्च किया गया: 2020
- उद्देश्य: नुकसान को कम करने, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि बुनियादी ढांचे के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- कुल परिव्यय: 2025-26 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 1 ट्रिलियन रुपये का वित्तपोषण
- अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंकों द्वारा दिए गए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर लाभार्थियों को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विश्व एमएसएमई दिवस पर दो नई योजनाएं शुरू कीं

- लॉन्च: एमएसएमई टीम, और यशस्विनी अभियान
- लॉन्च किया गया: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री, जीतन राम मांझी
- 'एमएसएमई टीम':

- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के लिए पांच लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है।
- Yashasvini campaign:
- महिलाओं के स्वामित्व वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने और आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

केंद्र ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति योजना की घोषणा की

- खान मंत्रालय ने लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करने की योजना की घोषणा की।
- सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी।
- केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की चौथी किश्त भी लॉन्च की, और पहली किश्त के दौरान नीलामी में रखे गए छह ब्लॉकों के लिए पसंदीदा बोलीदाताओं की घोषणा की।
- नीलामी की चौथी किश्त के तहत, सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज के 21 ब्लॉकों को शामिल किया।
- इसके अतिरिक्त, इस किश्त के हिस्से के रूप में, 10 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी की पिछली किश्तों के "दूसरे प्रयास" ब्लॉक के रूप में पेश किए गए हैं।
- ये 10 ब्लॉक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं और इनमें टंगस्टन, वैनेडियम, ग्रेफाइट, ग्लौकोनाइट, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज हैं।

CRITICAL MINERALS

OUR GROWING DEPENDENCE ON CRITICAL MINERALS

WHAT ARE CRITICAL MINERALS?

Minerals deemed critical vary by country. The United States classifies **35 minerals** as critical because they are:

- essential to economic and national security,
- from vulnerable supply chains, or
- a key part of the manufacturing of a product. ¹

TOP INDUSTRIES THAT RELY ON CRITICAL MINERALS

- 1 Telecommunications and electronics
- 2 Energy
- 3 Defence
- 4 Aerospace
- 5 Transportation

2

CRITICAL MINERALS ARE EVERYWHERE

 Lithium is used to create batteries.	 Potash is used in fertilizer.
 Helium is used in MRIs.	 Indium is used to make LCD screens.
 Uranium is used in radiation therapy.	 Strontium is used in fireworks.

3

सरकार ने **13595** करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजनाओं को मंजूरी दी

- के लिए अनुमोदन: अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) योजनाएं
- एजेंडा: राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावॉट आरई बिजली निकालना
- ये योजनाएं 2030 तक 500 गीगावॉट आरई क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें से 200 गीगावॉट पहले से ही जुड़ा हुआ है।
- राजस्थान:
- राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) की बिजली निकासी योजना राजस्थान से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली निकालेगी।

- इसमें फतेहगढ़ कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट, बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से 2.5 गीगावॉट और नागौर (मेड़ता) कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट शामिल है।
- यह बिजली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र, फतेहपुर और उरई को हस्तांतरित की जाएगी।
- समापन अवधि: दो वर्ष
- लागत: ₹12,241 करोड़।
- Karnataka:
- कोप्पल क्षेत्र और गडग क्षेत्र से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली खाली करें।
- यह योजना जून 2027 तक पूरी हो जायेगी.
- योजना की लागत लगभग ₹1,354 करोड़ है।

कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित वन्यजीव संरक्षण योजना को मंजूरी दी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए ₹2,602.98 करोड़ के समग्र परिव्यय के लिए वन्यजीव आवास योजना के एकीकृत विकास को मंजूरी दे दी है।
- इस पहल में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन्यजीव आवास का विकास जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं।
- योजना के प्रमुख घटक:
- प्रोजेक्ट टाइगर: ₹1,575 करोड़ आवंटित
- परियोजना हाथी: ₹182.58 करोड़ आवंटित
- वन्यजीव आवास का विकास: ₹845.4 करोड़ आवंटित

वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 को अधिसूचित किया

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 को अधिसूचित किया, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी।
- यह योजना करदाताओं को 22 जुलाई की कटऑफ तिथि से पहले सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित अपील, रिट याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं को निपटाने की अनुमति देगी।
- योजना में कहा गया है कि यदि किसी करदाता के पास आयुक्त, न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष कर अपील लंबित है, तो वे मुकदमा नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं और इसके बजाय पूरी कर राशि का भुगतान करके अपील का निपटान कर सकते हैं, जिससे कोई भी ब्याज और जुर्माना माफ हो जाएगा।

यह उन मामलों पर लागू होता है जहां करदाता ने अपील दायर की है।

कैबिनेट ने 'बायो-राइड' योजना को मंजूरी दी

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की दो प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिन्हें एक योजना के रूप में विलय कर दिया गया- 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-आरआईडी)' को एक नए घटक अर्थात् बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री।
- इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं:
- क) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी);
- बी) औद्योगिक और उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी)
- ग) बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री
- 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना 'बायो-राइड' के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 9197 करोड़ रुपये है।

Bio-RIDE

Cabinet approves 'Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development (Bio- RIDE)'



- Bio-RIDE is a merger of Biotechnology Research and Development & Industrial & Entrepreneurship Development (I&ED) of Department of Biotechnology with a new component i.e. Biomanufacturing and Biofoundry
- Proposed outlay of the unified scheme is **Rs.9197 cr** from 2021-22 to 2025-26
- Implementation of Bio-RIDE Scheme will
 - Promote Bio-Entrepreneurship
 - Advance Innovation
 - Facilitate Industry-Academia Collaboration
 - Encourage Sustainable Biomanufacturing
 - Support researchers through Extramural funding
 - Nurture Human Resource in Biotechnology sector



Cabinet approves Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan

- Approval for Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan
- कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये)
- उद्देश्य: आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- जैसा कि बजट भाषण 2024-25 में घोषित किया गया था, यह लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
- यह 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी आबादी 10.45 करोड़ है और देश भर में फैले 705 से अधिक आदिवासी समुदाय दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं।

 **CABINET DECISION** 18-09-2024

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan

- Mission Aims at Saturation coverage of **tribal majority villages** and **tribal villages** in Aspirational Districts
- It will cover more than **63,000 villages** benefiting more than **5 crore tribal people**
- Total outlay of the scheme is **Rs. 79,156 crore**
- Mission comprises of **25 interventions** to be implemented by **17-line ministries** to achieve following goals:
 - **Goal-1:** Developing Enabling Infrastructure
 - **Goal-2:** Promotion of Economic Empowerment
 - **Goal-3:** Universalization of Access to Good Education
 - **Goal-4:** Healthy lives and Dignified Ageing



कैबिनेट ने पीएम-आशा की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी
- कारण: किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को नियंत्रित करना।
- कुल वित्तीय व्यय रु. होगा. 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़

 **CABINET DECISIONS**
18th September, 2024

PRADHAN MANTRI ANNADATA AAY SANRAKSHAN ABHIYAN (PM-AASHA)



- Continuation of **PM-AASHA** schemes
- Convergence of **Price Support Scheme & Price Stabilization Fund** schemes
- Total outlay of **₹35,000 crore** up to 2025-26*

 **CABINET DECISIONS**
18th September, 2024

PRADHAN MANTRI ANNADATA AAY SANRAKSHAN ABHIYAN (PM-AASHA)



Focus areas

- To provide **remunerative prices** to farmers
- Aimed at **controlling price volatility** of essential commodities for consumer
- To **protect farmers** from distress sale

'मिशन मौसम' को कैबिनेट की मंजूरी

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के परिच्यय के साथ 'मिशन मौसम' को मंजूरी दे दी है।
- मिशन मौसम मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- फोकस: चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया करने की भारत की क्षमता को बढ़ाना।

- प्रमुख संस्थान: भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान केंद्र।
-



कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन" के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- पात्र 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करने और नई कनेक्टिविटी सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
- केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये है।
- इसकी शुरुआत पात्र ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में शुरू की गई 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी।
- पीएमजीएसवाई-II (2013), पीएमजीएसवाई-III (2019)

The details of the approval given by the Cabinet are as follows:

- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana -IV is launched for financial year 2024-25 to 2028-29. Total outlay of this scheme is Rs. 70,125 crore (Central Share of Rs. 49,087.50 crore and State Share of Rs. 21,037.50 crore).
- Under this scheme 25,000 unconnected habitations of population size 500+ in plains, 250+ in NE & Hill States/UTs, special category areas (Tribal Schedule V, Aspirational Districts/Blocks, Desert areas) and 100+ in LWE affected districts, as per Census 2011 will be covered.
- Under this scheme 62,500 Km of all-weather roads will be provided to unconnected habitations. Construction of required bridges along the alignment of the all-weather road will also be provided.

कैबिनेट ने पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए रुपये के परिव्यय के साथ "पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना" को मंजूरी दे दी है। 3,435.33 करोड़।
- यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की तैनाती का समर्थन करेगी।
- यह योजना तैनाती की तारीख से 12 साल तक की अवधि के लिए ई-बसों के संचालन का समर्थन करेगी।

PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM)

Cabinet Decision: 11th September, 2024

Cabinet approves PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme for procurement and operation of e-buses by Public Transport Authorities (PTAs) with an outlay of Rs. 3,435.33 crore

- Scheme to support deployment of over 38,000 electric buses from FY 2024-25 to FY 2028-29
- Scheme to also support operation of e-buses for a period of up to 12 years from date of deployment
- Timely payments to OEMs/operators procure and operate e-buses for PTAs through a dedicated fund
- Initiative seeks to facilitate adoption of e-buses by encouraging private sector participation
- Scheme to also lead to significant reductions in greenhouse gas emissions and also reduce the consumption of fossil fuel

PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM)

Cabinet approves PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme for procurement and operation of e-buses by Public Transport Authorities (PTAs) with an outlay of Rs. 3,435.33 crore

- Scheme to support deployment of over 38,000 electric buses from FY 2024-25 to FY 2028-29
- Scheme to also support operation of e-buses for a period of up to 12 years from date of deployment
- Timely payments to OEMs/operators procure and operate e-buses for PTAs through a dedicated fund
- Initiative seeks to facilitate adoption of e-buses by encouraging private sector participation
- Scheme to also lead to significant reductions in greenhouse gas emissions and also reduce the consumption of fossil fuel

H.D. Kumaraswamy Union Minister, Steel and Heavy Industries Government of India

कैबिनेट ने इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को मंजूरी दी

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' नामक योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में गतिशीलता.
- इस योजना का दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
- पीएम ई-ड्राइव भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME India चरण II) की जगह लेगा।
- यह योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर और 14,028 ई-बसों को समर्थन देगी।
- इसे लागू करने के लिए, 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में कन्वीनियंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा मांग एकत्रीकरण किया जाएगा।

Cabinet Decision: 11th September, 2024

PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE)

Cabinet approves PM E-DRIVE Scheme for promotion of electric mobility in the country with outlay of Rs 10,900 crore for 2 years

Components of the scheme:

- Subsidies/Demand incentives worth Rs.3,679 crore to incentivize e-2Ws, e-3Ws, e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs
- E-vouchers for EV buyers to avail demand incentives under the scheme
- Allocation of Rs.500 crore for the deployment of e-ambulances
- Provision of Rs.4,395 crore for procurement of 14,028 e-buses by STUs/public transport agencies

PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE)

Cabinet approves PM E-DRIVE Scheme for promotion of electric mobility in the country with outlay of Rs 10,900 crore for 2 years

Components of the scheme:

- Preference to cities/states, which are being procuring e-buses after scrapping old STU buses
- Rs. 500 crore allocated for incentivising deployment of e-trucks in the country
- Installation of 22,100 fast chargers for e-4 Ws, 1800 fast chargers for e-buses and 48,400 fast chargers for e-2W/3Ws with an outlay for EV PCS at Rs.2,000 crore

H.D. Kumaraswamy Union Minister, Steel and Heavy Industries Government of India

कैबिनेट ने 31,350 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31,350 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय समर्थन की योजना में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- बयान के मुताबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू रहेगी।
- बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय समर्थन की सीमा को 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये/मेगावाट और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये प्लस 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक तर्कसंगत बनाया गया है।